अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित
कर रखा है। पी. ओ. साहब अन्य कार्य मे
व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते दिनांक 23/5/18
पेश हो।

23/5/18 पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रा० पत्र पेश किया जो शामिल किया गया। जवाब ... की दावा मे अपरिहार्य अप्रार्थी सं. 3 ता 6 व 8 की ... मे अपरिहार्य कार्यवाही हो चुकी है बावजूद तामील अप्रार्थी सं. 3 ता 6 व 8 उप० नही अत: इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर एक अर्जी पेश किया गया पत्र शीघ्र निस्तारण बाबत पेश किया गया जिसमे निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अ. नि. का शीघ्र निस्तारण किया जावे। वकील अप्रार्थी सं. वकील प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी सं. 1 की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24-5-18 को पेश हो

24-5-18 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वकील अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का एक हिस्सा वाद पत्र के आधार पर वाद मे साक्ष्य व सबूतो के आधार पर वाद मे साक्ष्य व सबूतो के आधार पर ... होना है। पूर्व मे जारी कि गई अ. नि. का निस्तारण किया जाना पक्षीय है जिसका निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की खरीद शुदा भूमि है अत: अप्रार्थी सं. 1 को अ. नि. से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता अत: पूर्व मे जारी अ. नि. आदेश दिनांक 3-10-17 को इस स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली जाब्ता मुताबिक शरह दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)